# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2017(रसद)
पंजीयन दिनांक 03.02.2017

राज्य सरकार जरिये डालचन्द खटीक, जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स हीना इण्डियन ऑयल, आई. ओ. सी. एल. मांगरोल, तहसील निम्बाहेड़ा
2–मेनेजर, श्री देवीलाल पुत्र श्री मोतीलाल अहीर निवासी, फाचर अहिरान, निम्बाहेड़ा
3–श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री शंकरलाल डांगी ट्रेक्टर मालिक, ट्रेक्टर नम्बर RJ09 RA 8341

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेक्टिस) आदेश 2005 तथा राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंस एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत।**

**उपस्थितिः– 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार**
**2–श्री कैलाश चन्द्र उपाध्याय, अधिवक्ता, विपक्षी सं. 1 व 2**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**निर्णय**

दिनांक 24.07.2018

जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.01.2017 को दोपहर 1.30 पी. एम. पर एस. एच. ओ. शम्भूपुरा द्वारा दूरभाष पर बताया कि दिनांक 18.01.2017 को 7.30 पी. एम. पर सिन्दवडी थाना शम्भूपुरा में एक ट्रेक्टर नम्बर RJ09 RA 8341 मय टैंकर ने श्री लीलाशंकर पुत्र श्री रतनसिंह निवासी सिन्दवडी के मय मोटर साईकिल टक्कर मारकर घायल करने के कारण सूचना मिलने पर ट्रेक्टर मय टैंकर पुलिस थाना में रखवा ट्रेक्टर में भरे तरल पदार्थ की जांच करने पर प्रथम दृष्ट्या डीजल पाया गया। मौके पर टैंकर में डीजल भरा जिसमें ताला लगा होकर नीचे नली मे भी अलग से ताला लगा पाया गया। दिनांक 19.01.2017 को मुकाम थाना शम्भूपुरा पर भौतिक सत्यापन करने के लिये उपस्थित मौतबिरानों से रूबरू मेरी उपस्थिति में ताला तुडवाकर फोटोग्राफी करवाई तथा डीजल की भराव क्षमता नापने पर 3600 लीटर पाया गया। यह डीजल मैसर्स हीना इण्डियन ऑयल मांगरोल से भरवाया गया, जिसके सेल्समेन श्री

देवीलाल अहीर को मौके पर बुलाया जिन्होने स्वीकार किया कि चार अलग-अलग 900 लीटर डीजल प्रति बिल जारी कर 3600 लीटर डीजल दिया। इस प्रकार ट्रेक्टर नम्बर RJ09 RA 8341 के टैंकर में 3600 लीटर डीजल दिनांक 18.01.2017 को भराया गया परीक्षण के लिए तीन सैम्पल 750 एम. एल. के लिये गये, जिस पर सील नहीं होने से पांच रूपये सिक्के का प्रयोग किया गया। ट्रेक्टर टैंकर में रखे डीजल 3600 लीटर का कोई परिवहन व स्टॉरेज का लाईसेंस नहीं मिला तथा न ही इसकी जानकारी मैसर्स हीना इण्डियन ऑयल वाले सेल्समेन ने मौके पर दी। इस प्रकार जांच कार्यवाही में यह तथ्य आया कि ट्रेक्टर नम्बर RJ09 RA 8341 के टैंकर में भरा हुआ 3600 लीटर डीजल अवैध रूप से परिवहन व स्टॉरेज करना पाया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेक्टिस) आदेश, 2005 तथा राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंस एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जारी लाईसेंस की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात कराने का श्रम करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये कि जब्त की गई सामग्री को क्यों नहीं राजसात करने की कार्यवाही की जावे, यदि कोई वजह रखते हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र उपाध्याय ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया। जिससे बहस प्रकरण सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी, पैराकार सरकार ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से ट्रेक्टर के टैंकर में तरल पदार्थ भरकर ले जाते हुए पकडे जाने पर जांच करने पर टैंकर में 3600 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया तथा परिवहन व स्टॉरेज करने के बारे में लाईसेंस हेतु पूछे जाने पर नहीं होना बताया जिससे इनका यह कृत्य डीजल की अवैध रूप से भण्डारण कर कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 3600 लीटर डीजल को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि इस डीजल से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है यदि इस डीजल को राजसात किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। दिनांक 19.01.2017 को ट्रेक्टर नम्बर RJ09 RA 8341 के टैंकर में भरे हुए पदार्थ की जांच करने पर उक्त तरल पदार्थ डीजल होना पाया गया तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त डीजल मैसर्स हीना इण्डियन ऑयल मांगरोल से चार अलग-अलग बिलों प्रत्येक बिल से 900 लीटर डीजल प्राप्त करना पाया गया एवं उक्त तथ्य को मैसर्स हीना इण्डियन ऑयल के मैनेजर/सेल्समेन श्री देवीलाल अहीर ने भी स्वीकार किया है। उक्त डीजल अवैध रूप से परिवहन करने तथा इसका स्टॉरेज करने के लिये कोई लाईसेन्स होने के संबंध में पूछे जाने पर पास में कोई परमिट या लाईसेन्स नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा उक्त डीजल को अवैध रूप से परिवहन करने तथा अपने पास भण्डारण कर उसकी कालाबाजारी करना प्रमाणित होता है। जो धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रेक्टिस) ऑर्डर, 2005 तथा राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (लाईसेंस एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 के तहत जारी लाईसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है जिससे जब्तशुदा सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्तशुदा 3600 लीटर डीजल राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा डीजल का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)